File No.ECR-HQ0PERS(CIRC)/1/2021-O/o Dy.CPO/HQ/ECR

पूर्व मध्य रेल
EAST CENTRAL RAILWAY

कार्यालय
महाप्रबंधक(का)
हाजीपुर

RBE No. 71/2021

PCPO's Sl No. 104/2021

No. E/Misc./O/ECR/HJP (E-Office/Compter No. 96193)

1. CAO (Con.)/उत्तर एवं दक्षिण/पटना।
2. सभी PHOD/CHOD/पूमरे/हाजीपुर।
3. DRM/पूमरे/दानापुर, डीडीयू, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
4. मुख्य कार्मिक अधिकारी/प्रशासन/पूमरे/हाजीपुर।
5. मुख्यालय के सभी कार्मिक अधिकारी।
6. CWM/पीडी/डीडीयू, यांत्रिक कारखाना/समस्तीपुर एवं हरनौत।
7. Sr.DPO/पूमरे/दानापुर, डीडीयू, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
8. उप महाप्रबंधक/विधि/पटना।
9. प्राचार्य/क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान/मुजफ्फपुर एवं भूली।
10. सभी मुकार्याधी/कार्याधी/पूमरे/हाजीपुर।

विषय :– Payment of Productivity Linked Bonus to all eligible non-gazetted Railway employees for the financial year 2020-2021.

संदर्भ :– Railway Board's letter No.- E(P&A)II/2021/PLB-1, dated- 06.10.2021

विषयांकित से संबंधित संदर्भित पत्र की छायाप्रति सूचना, मार्गदर्शन एवं अग्रेत्तर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है।

A copy of above referred letter on the subject matter is being forwarded herewith for information, guidance and needful onward action please.

संलग्नकः यथोपरि।
DA: As above.

Signed by Saurabh Sawarn
Date: 18-10-2021 16:05:55
Reason: Approved
(सौरभ सावर्ण)
वकाधि/ई.एस.एम.
कृते महाप्रबंधक (का0)/हाजीपुर

प्रतिलिपि/– निम्नलिखित को सूचनार्थ, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

1. महासचिव/ईसीआरकेयू/पूमरे/हाजीपुर।
2. महासचिव/एस.सी.एवं एस.टी.एशोसिएशन/पूमरे/हाजीपुर।
3. सकाधि(एम.पी.पी.)/पूमरे/हाजीपुर–कृपया इसे वेबसाइट पर अपलोड करें।
4. महासचिव/ओ.बी.सी.एशोसिएशन/पूमरे/हाजीपुर।

कृते महाप्रबंधक (का0)/हाजीपुर

859958/2021/O/o Dy.CPO/HQ/ECR

GOVERNMENT OF INDIA/भारत सरकार
MINISTRY OF RAILWAYS/रेल मंत्रालय
(Railway Board) रेलवे बोर्ड

RBE No. 71/ 2021
No. E(P&A)II/2021/PLB-1 New Delhi, dt. 06.10.2021

The General Managers/CAOs,
All Indian Railways & Production Units etc.

Subject: Payment of Productivity Linked Bonus to all eligible non-gazetted Railway employees for the financial year 2020-21.

The President is pleased to sanction Productivity Linked Bonus (PLB) equivalent to **78 (Seventy Eight)** days wages without any ceiling on wages for eligibility for the financial year 2020-21 to all eligible non-gazetted Railway employees (excluding all RPF/RPSF personnel). Where, wages exceed ₹7000/- per month, Productivity Linked Bonus will be calculated as if the 'wages' are ₹7000/- p.m.

2. 'Wages' for the purpose of calculating Productivity Linked Bonus shall include 'Basic pay' as defined in the Railway Services (Revised Pay) Rules, 2016 and Dearness Allowance drawn during the financial year 2020-21. Other conditions of eligibility, method of calculation of wages, etc., as prescribed in this Ministry's instructions and clarifications issued from time to time, shall remain unchanged.

3. It has also been decided that in the case of eligible employees mentioned in Para 1 above who were not placed under suspension, or had not quit service/retired/expired during the financial year 2020-21 or were on leave where leave salary admissible is not less than that admissible on leave on average pay, may be paid an amount of ₹ **17,951/-** towards Productivity Linked Bonus for the financial year 2020-21. In the case of employees other than those mentioned above, the amount of Productivity Linked Bonus may be calculated in accordance with the extant instructions on the subject.

4. Further, in relaxation to the provisions in Rules 905(2), 908 and 909 of State Railway Provident Fund Rules, as contained in Chapter 9 of R-I/1985 edition (2003 Reprint edition), such of the subscribers to the SRPF as are entitled to Productivity Linked Bonus may, if they so desire, deposit the whole or part of the amount admissible under the Scheme in their respective State Railway Provident Fund Accounts.

5. Disbursement of Productivity Linked Bonus for the financial year 2020-21 to all eligible non-gazetted Railway employees mentioned in Para 1 above should be made on priority in the same mode as payment of salary before the ensuing Puja/Dussehra holidays.

6. The above decision for payment of PLB has been taken despite adverse financial situation caused by COVID-19 challenges. Despite shortcomings in certain Railways

pertaining to Operating Ratio, Earnings, Loading etc., PLB is being paid uniformly to all Zonal Railways. In view of unusual circumstances creating by COVID-19 pandemic, an appeal is made to all the Railwaymen to resolve all the shortcomings in the Railways for enhance productivity and financial viability.

7. This issues with the concurrence of Finance Directorate of the Ministry of Railways.

(N.P.Singh)
Joint Director, Estt.(P&A)
Railway Board
Email: nirbhay.singh26@gov.in
1st Floor, Room No.109B

No. E(P&A)II/2021/PLB-1 **New Delhi, dt. 06.10.2021**

Copy forwarded to the Deputy Comptroller & Auditor General of India, Room No.224, Rail Bhawan, New Delhi.

For Member (Finance)/Railways

No. E(P&A)II/2021/PLB-1 **New Delhi, dt. 06.10.2021**

Copy to :-

(1) The PFAs, All Indian Railways & Production Units etc.
(2) The Chief Commissioner of Railway Safety, 16, Ashok Road, Lucknow.
(3) Director General RDSO Lucknow.
(4) The Director (a) IRIEEN, Nasik, (b) IRICEN, Pune, (c) IRIMEE, Jamalpur, (d) IRISET, Secunderabad
(5) The Principal, Railway Staff College, Vadodara.
(6) The Chairman RCC Lok Sabha Secretariat, New Delhi.
(7) The Chairman RRT, Chennai.
(8) The Chairman RCT, Delhi.
(9) The Chairman RRB/Ajmer, Ahmedabad, Allahabad, Bilaspur, Bangalore, Bhopal, Bhubaneshwar, Chandigarh, Kolkata, Jammu, Gorakhpur, Guwahati, Malda, Mumbai, Muzaffarpur, Patna, Ranchi, Secunderabad and Trivandrum.
(10) The General Manager CORE, Allahabad.
(11) The Editor, 'Bhartiya Rail' Room No.469, Rail Bhawan, New Delhi.
(12) The Editor, 'Indian Railways' Room No. 411, Rail Bhawan, New Delhi.
(13) The Editor, 'Rail Rajbhasha', Room No.543, Rail Bhawan, New Delhi.
(14) The Chairman, Passenger Services Committee, 218, Rail Bhawan, New Delhi.
(15) The C.A.O.(R) COFMOW, Tilak Bridge, New Delhi.
(16) The Director, CAMTECH/Gwalior.
(17) The C.A.Os,(a) MTP(R) Mumbai, (b) MTP(R) Chennai.
(18) Office of the Chief Project Administrator (Telecom), Indian Railway Centre Organization for Telecom Consultancy, Shivaji Bridge, New Delhi.
(19) The Chief Mining Advisor, Ministry of Railways, Dhanbad,.
(20) The C.A.O.(Const). Central Railway, Mumbai.

(21) The Director (Movement) Railways/Kolkata.
(22) The Gen. Secy., IRCA, DRM Office Complex, State Entry Road, New Delhi.
(23) The General Manager, CAO/FOIS Office, Northern Railway, CRIS Camp Chanakayapuri, New Delhi.
(24) M/s Bahari Brothers, 742, Lajpat Rai Market, P.O. Box No. 2032, Delhi -06.

(N.P.Singh)
Joint Director/Estt.(P&A)
Railway Board
Email: nirbhay.singh26@gov.in
1st Floor, Room No.109B

No. E(P&A)II/2021/PLB-1 **New Delhi, dt. 06.10.2021**

Copy to:-

(i) The General Secretary, AIRF.
(ii) The General Secretary, NFIR.
(iii) The Members of the National Council, Departmental Council and Secretary/ Staff side, National Council, 13-C Ferozeshah Road, New Delhi.

(iv) The Secretary General, FROA.
(v) The Secretary General, IRPOF.
(vi) The Secretary General, All India RPF Association.
(vii) The Secretary, Indian Railways Class II Officers' Association.
(viii) The Secretary, RBSS, Group 'A' Officers' Association, Room No.402, Rail Bhawan, New Delhi.
(ix) The Secretary, Railway Board Group 'B' Officers' Association.
(x) The Secretary, Railway Board Ministerial Staff Association.
(xi) The General Secretary, Non-Ministerial Staff Association, Rail Bhawan.
(xii) The General Secretary, Railway Board Secretariat Stenographers Services Association, Rail Bhawan.
(xiii) The Secretary, Railway Board Group 'D' Employees Association.
(xiv) The General Secretary, All India SC/ST Railway Employees Association, Room No.8, Rail Bhawan, New Delhi.
(xv) All India O.B.C. Railway Employee's Association.
(xvi) The General Secretary, Retired Railway Employees Welfare Association, Room No. 490 A/16, Gurudwara Road, Gurgaon.

For Secretary/Railway Board.

859958/2021/O/o Dy.CPO/HQ/ECR

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड / Railway Board)

आरबीई सं. 71/2021

सं.ई(पी एंड ए)II/2021/पीएलबी-1 नई दिल्ली, दिनांक: 06.10.2021

महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,
सभी भारतीय रेलें और उत्पादन इकाइयां आदि।

विषय: वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सभी पात्र अराजपत्रित रेलवे कर्मचारियों को उत्पादकता संबद्ध बोनस का भुगतान करना।

राष्ट्रपति, सभी पात्र अराजपत्रित रेल कर्मचारियों (रेल सुरक्षा बल/रेलवे सुरक्षा विशेष बल के सभी कर्मचारियों को छोड़कर) को पात्रता के लिए मजूरी की बिना किसी सीमा के वित्त वर्ष 2020-21 हेतु **78 (अठहत्तर)** दिनों की मजूरी के समतुल्य उत्पादकता संबद्ध बोनस के भुगतान की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं। जहाँ मजूरी 7,000/- रुपए (सात हजार रुपए) प्रति माह से अधिक है, वहां उत्पादकता संबद्ध बोनस की गणना इस प्रकार की जाएगी मानो मजूरी 7,000/- रुपए (सात हजार रुपये) प्रति माह ही है।

2. उत्पादकता संबद्ध बोनस की गणना के प्रयोजन के लिए 'मजूरी' में रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2016 में यथा परिभाषित 'मूल वेतन' तथा वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान लिया गया मंहगाई भत्ता शामिल होगा। इस मंत्रालय के अनुदेशों में यथानिर्धारित पात्रता की अन्य शर्तें, मजूरी का परिकलन करने की पद्धति आदि और समय-समय पर जारी स्पष्टीकरण अपरिवर्तनीय रहेंगे।

3. यह भी विनिश्चय किया गया है कि उपर्युक्त पैरा 1 में उल्लिखित पात्र कर्मचारियों, जो निलंबित नहीं थे या जिन्होंने वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान सेवा नहीं छोड़ी थी/सेवानिवृत्त नहीं हुए थे/जिनकी मृत्यु नहीं हुई थी या जो ऐसी छुट्टी पर थे कि अनुमेय छुट्टी वेतन, औसत वेतन छुट्टी के दौरान अनुमेय वेतन से कम न हो, के मामले में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए उत्पादकता संबद्ध बोनस के तहत **17,951/- रुपए** की राशि का भुगतान किया जाए। ऊपर लिखित कर्मचारियों के अलावा अन्य कर्मचारियों के मामले में उत्पादकता संबद्ध बोनस की राशि की गणना इस विषय पर विद्यमान अनुदेशों के अनुसार की जाए।

4. इसके अलावा, आर-I/संस्करण 1985 (पुर्नमुद्रित संस्करण 2003) के अध्याय 9 में यथा अंतर्विष्ट राज्य रेल भविष्य निधि नियमों के नियम 905(2), 908 और 909 में उल्लिखित उपबंधों में छूट देते हुए, राज्य रेल भविष्य निधि के वे अंशदाता, जो उत्पादकता संबद्ध बोनस पाने के पात्र हैं, यदि चाहें तो अपने संबंधित राज्य रेल भविष्य निधि लेखे में, इस योजना के अंतर्गत स्वीकार्य पूर्ण अथवा आंशिक राशि जमा करा सकते हैं।

5. उपर्युक्त पैरा 1 में उल्लिखित सभी पात्र अराजपत्रित रेल कर्मचारियों को वित्त वर्ष **2020-21** के लिए उत्पादकता संबद्ध बोनस का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर आगामी पूजा/दशहरा की छुट्टियों से पहले उसी प्रकार किया जाए, जिस प्रकार वेतन का भुगतान किया जाता है।

6. उत्पादकता संबद्ध बोनस के भुगतान का उक्त निर्णय कोविड-19 की चुनौतियों के कारण प्रतिकूल वित्तीय स्थिति के बावजूद लिया गया है। कतिपय रेलों में परिचालन अनुपात, आय, लदान आदि से संबंधित कमियों के बावजूद सभी क्षेत्रीय रेलों को एकसमान रूप से उत्पादकता संबद्ध बोनस का भुगतान किया जा रहा है। COVID-19 महामारी द्वारा निर्मित असामान्य परिस्थितियों को देखते हुए, सभी रेलकर्मियों से अपील की जाती है कि आवर्धित उत्पादकता और वित्तीय व्यवहार्यता के लिए रेलवे की सभी कमियों को दूर करें।

7. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

(एन. पी. सिंह)
संयुक्त निदेशक, स्थापना (वेतन एवं भत्ते)
रेलवे बोर्ड
ईमेल: nirbhay.singh26@gov.in
प्रथम तल, कमरा नं.109बी

सं.ई(पी एंड ए)II/2021/पीएलबी-1 **नई दिल्ली, दिनांक: 06.10.2021**

प्रतिलिपि भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें) कमरा नं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली को अग्रेषित।

विकास भारद्वाजानी

कृते सदस्य (वित्त)/रेलवे

सं.ई(पी एंड ए)II/2021/पीएलबी-1 **नई दिल्ली, दिनांक: 06.10.2021**

<u>प्रतिलिपि</u>:-

(1) प्रधान वित्त सलाहकार, सभी भारतीय रेलें तथा उत्पादन इकाइयां आदि।
(2) मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त, 16 अशोक रोड, लखनऊ।
(3) महानिदेशक, आरडीएसओ, लखनऊ।
(4) निदेशक (क) इरीन, नासिक (ख) इरीसेन, पुणे, (ग) इरिमी, जमालपुर (घ) इरिसेट, सिकंदराबाद।
(5) प्रिंसीपल, एनएआईआर, वड़ोदरा।
(6) अध्यक्ष, आरसीसी, लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
(7) अध्यक्ष, आरआरटी, चेन्नै।
(8) अध्यक्ष, आरसीटी, दिल्ली।

(9) अध्यक्ष, आरआरबी/अजमेर, अहमदाबाद, इलाहाबाद, बिलासपुर, बैंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, कोलकाता, जम्मू, गोरखपुर, गुवाहाटी, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना, रांची, सिकंदराबाद और तिरुवनंतपुरम।

(10) महाप्रबंधक, कोर, इलाहाबाद।

(11) संपादक, 'भारतीय रेल' कमरा नं.469, रेल भवन, नई दिल्ली।

(12) संपादक, 'इंडियन रेलवेज़' कमरा नं.411, रेल भवन, नई दिल्ली।

(13) संपादक, 'रेल राजभाषा' कमरा नं.543, रेल भवन, नई दिल्ली।

(14) अध्यक्ष, यात्री सेवा समिति, 218, रेल भवन, नई दिल्ली।

(15) सी.ए.ओ. (आर) कॉफमो, तिलक ब्रिज, नई दिल्ली।

(16) निदेशक, कैमटेक, ग्वालियर।

(17) सी.ए.ओ., (क) एमटीपी (आर), मुंबई (ख) एमटीपी (आर) चेन्नै।

(18) मुख्य परियोजना प्रशासक (दूरसंचार), भारतीय रेल दूरसंचार परामर्श संगठन, शिवाजी ब्रिज, नई दिल्ली।

(19) मुख्य खनन सलाहकार, रेल मंत्रालय, धनबाद।

(20) सी.ए.ओ. (निर्माण), मध्य रेल, मुंबई।

(21) निदेशक (संचलन) रेलवे/कोलकाता।

(22) जनरल सेक्रेटरी, आईआरसीए, डीआरएम ऑफिस काम्पलैक्स, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली।

(23) महाप्रबंधक, सीएओ/एफओआईएस ऑफिस, उत्तर रेलवे, क्रिस कैम्प, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।

(24) मैसर्स बाहरी ब्रदर्स, 742, लाजपतराय मार्केट, पी.ओ. बॉक्स नं.2032, दिल्ली-06.

(एन. पी. सिंह)
संयुक्त निदेशक, स्थापना (वेतन एवं भत्ते)
रेलवे बोर्ड
ईमेल: nirbhay.singh26@gov.in
प्रथम तल, कमरा नं.109बी

सं.ई(पी एंड ए)II/2021/पीएलबी-1 **नई दिल्ली, दिनांक: 06.10.2021**

प्रतिलिपि:-

(i) जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ।

(ii) जनरल सेक्रेटरी, एनएफआईआर।

(iii) राष्ट्रीय परिषद/विभागीय परिषद के सभी सदस्य और राष्ट्रीय परिषद के सचिव, कर्मचारी पक्ष, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली।

(iv) सेक्रेटरी जनरल, फ्रोआ।

(v) सेक्रेटरी जनरल, इरपोफ।

(vi) सेक्रेटरी जनरल, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन।

(vii) अध्यक्ष, इंडियन रेलवे क्लास-।। ऑफिसर्स एसोसिएशन।

(viii) सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप 'ए' ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं.402, रेल भवन, नई दिल्ली।

(ix) सचिव, रेलवे बोर्ड ग्रुप 'बी' ऑफिसर्स एसोसिएशन।

(x) सचिव, रेलवे बोर्ड लिपिकवर्गीय स्टाफ एसोसिएशन।

(xi) महासचिव, रेलवे बोर्ड गैर-लिपिकवर्गीय स्टाफ एसोसिएशन, रेल भवन।

(xii) जनरल सेक्रेटरी, रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा एसोसिएशन, रेल भवन।

(xiii) सचिव, रेलवे बोर्ड ग्रुप 'डी' एम्पलॉइज़ एसोसिएशन।

(xiv) जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया एससी/एसटी रेलवे कर्मचारी एसोसिएशन, कमरा नं. 8, रेल भवन, नई दिल्ली।

(xv) ऑल इंडिया ओ.बी.सी. रेलवे एम्पलॉइज़ एसोसिएशन।

(xvi) जनरल सेक्रेटरी, सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन, 490 ए/16, गुरुद्वारा रोड, गुरूग्राम।

नवीन

कृते सचिव/रेलवे बोर्ड